कार्यालय जिलापशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी0भी0सी0पटना – 14)

Phone No – 0612-2225306/2221037 Fax No – 0612-2225306 Email – ID – dahopat@gmail.com

निविदा–सूचना

जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा संचिका पर दिये गये निदेश के आलोक में जिलान्तर्गत बाढ़ एवं सुखाड़ 2017 के सम्भावनाओं के मदद् नजर जिला अन्तर्गत आपदा के स्थिति में पशुओं के लिए पशु चारा यथा– गेहूं–चोकर, दलहन–चुन्नी के क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन तक के अपराह्न 3 बजे तक में द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आपूर्तिकर्ता को सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदा को अगले कार्यदिवस के 11:00 बजे पूर्वहान् में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा सूचना की विस्तृत शर्त्ते एवं विवरणी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट http//ahd.bih.nic.in पर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा निकटस्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त की जा सकती है।

24/7/17

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना।

24/7/17

निविदा की शर्त्ते

1. पटना जिलान्तर्गत संभावित सुखाड़ एवं बाढ़ – 2017–18 की पूर्व तैयारी के निमित पशु चारा (गेहू चोकर एवं दलहन चुन्नी) के दर/आपुर्तिकर्त्ता के निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ता से निम्नांकित सामग्रियों के लिए सीलबन्द निविदा आमंत्रित कि जाती है।

   क – गेहूँ–चोकर

   ख – दलहन–चुन्नी

2. निविदा दाताओं से उपरोक्त वर्णित पशु चारा (चोकर–चुन्नी) हेतु निविदा सील बंद लिफाफा मे आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदा लिफाफा मे तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग सील बन्द लिफाफा रहना अनिवार्य होगा। संबंधित लिफाफे के उपर "तकनिकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट/रजीस्र्टड पोस्ट/हाथो–हाथ निविदा प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन तक के 3 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा प्राप्ति के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदादाता की उपस्थिति मे जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कक्ष में खोला जाएगा। विधिवत रूप से प्राप्त सील बन्द निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

3. तकनिकी निविदा में निविदादाता को विगत तीन वर्षो मे सरकारी/अर्धसरकारी/प्रतिष्ठित संस्थानों को आपूर्ति करने संबंधी क्रयादेश एवं अन्य साक्ष्य की छायाप्रति, वर्ष 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति (यदि उपलब्ध हो)/पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तकनिकी निविदा के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नही है।

4. तकनीकी निविदा में निविदादाता को 5,000 रूपये (पांच हजार रूपये) के अग्रधन की राशि (सुरक्षित जमा राशि) जिला पशुपालन पदाधिकरी, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट (PAYBLE AT PATNA) या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी, जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक कर रखी जायेगी। अग्रधनकी राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नही होगा। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामग्री आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि को जब्त करने के साथ ही भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है। केन्द्रीय/राज्य क्रय संगठन/राष्ट्रीय लघु उद्योग में निबंधित आपूर्तिकर्ता को सूरक्षित जमा राशि में छूट प्राप्त करने हेतु निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पल पारदर्शी थैला में अपने नाम, पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करते हुये देना अनिवार्य होगा।

6. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात/प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा कि निविदादाता को इस निविदा में अंकित सभी शर्ते मान्य है।

7. तकनीकी निविदा प्रकाशन तिथि के 21वें दिन के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाहन में जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना के कक्ष में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का भाग लेना आवश्यक होगा। विभागीय तकनीकी निविदा समिति द्वारा इस निविदा में अंकित शर्तो के अर्न्तगत तकनीकी रूप से सक्षम पाये जानेवाले निविदादाता के वित्तीय निविदा खोलने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

8. वित्तीय निविदा में निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित पशु चारा (चोकर–चुन्नी) आपूर्ति करने हेतु पटना जिला अर्न्तगत सभी प्रखण्डों के लिए एक ही दर मान्य होगा, जिसमें परिवहन व्यय सम्मिलित हो। वित्तीय

निविदा में अंकित उक्त दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नही होगा। निविदा में उक्त वर्णित पशु चारा (चोकर–चुन्नी) के पैकिंग की विवरणी भी अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री की आपूर्ति संबंधित अंचलाधिकारी को करनी होगी।

9. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाताओ का वित्तीय निविदा जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समीक्षोपरान्त प्रत्येक सामग्री का दर निर्धारित करने की कार्रवाई की जायेगी। इसमें जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके उपरान्त स्वीकृत निविदादाता को 3 दिनों के भीतर सभी विहित शर्तो के अर्न्तगत जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के उपरान्त संबंधित जिला पशुपलान पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचना (INDENT) के आधार पर विहित शर्तो के अर्न्तगत 24 (चौबीस) घंटा के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुपालन में पशु चारा (चोकर–चुन्नी) ससमय संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशित स्थान पर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने पर दण्ड राशि (PENALTY) की वसूली करने के साथ–साथ काली सूची में दर्ज करने/वैधानिक कार्रवाई करने का जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा। आपूर्ति किये गये सामग्रियों के विरूद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना द्वारा संगत मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के द्वारा किया जायेगा।

10. जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मान्य होगा।

11. जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा पर जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा विशेष परिस्थिति में स्वीकृत दर पर एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।

12. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला का निपटारा पटना स्थित न्यायालय के अर्न्तगत होगा।

13. आपूर्तिकर्ता को उनके द्वारा आपूर्ति की गई पशु चारा (चोकर–चुन्नी) का गुणवत्ता प्रमाण पत्र संबंधित अंचलाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14. किसी भी परिस्थिति में चोकर–चुन्नी का दर स्थानीय बाजार से अधिक नही होना चाहिए, ततसंबंधि शपथ पत्र आपूर्तिकर्ता को देना अनिवार्य होगा।

24/7/17

जिला पशुपालन पदाधिकरी
पटना।